

नांक	आज्ञा-पत्र
	43/2010 अब्दुल लाल vs र.प्र.
19.6.17	पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपत्र उपर। पूर्व आदेशानुसार 4.7.17 को पेश हो
4.7.17	पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपत्र उपर। पूर्व आदेशानुसार 17.7.17 को पेश हो
17.7.17	पत्रावली पेश हुई। कार्यो तथे द्वारा आगामी कार्य स्थगित रखा जाया है। वास्तविक 31.7.17 को पेश हो
31.7.17	पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपत्र उपर। उपरोक्त कार्यो वस्तु 8.8.17 को पेश हो।
8-8-17	पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपत्र उपर। वास्तविक 12.9.17 को पेश हो।
12.9.17	पत्रावली पेश हुई। कार्यो तथे द्वारा आगामी कार्य स्थगित रखा जाया है। पूर्व आदेशानुसार 25.9.17 को पेश हो
25.9.17	पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपत्र उपर। सुनी गई। वास्तविक आदेश 6.11.17 को पेश हो
6.11.17	पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपत्र उपर। पत्रावली पर निर्णय किया जा चुका है। अतः आपत्र स्थगन को आगे चलाये का कोई औचित्य नहीं है। आपत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर ले कम हो

जिला कलक्टर, सीकर

जिला कलक्टर, सीकर